फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम –जहाजपुर (भीलवाडा)

महेन्द्रसिंह पिता मोहनसिंह राजपुत नि. राणवतों का खेडा (उलेला)

बनाम

कंचनदेवी पत्नी प्रहलाद मीणा नि. खजूरी

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 595/23

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील मे जारी हुये
14.06.23	प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम राणवतों का खेडा प. ह. उलेला तहसील जहाजपुर में स्थित आ.न. 116/10 रकबा 0.1620 हैक्टेयर स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद को लेकर झगडा करते हैं। अतः पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है। मैंने पत्रावली का अवलोकन कियां सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलगन नकल जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से पत्थरगढी किये जाने वाली भूमि प्रार्थी के एकल/संयुक्त स्वामित्व की हैं, पडोसियान के विवाद करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं जिसके जाहिर होता है कि पत्थरगढी की जाने वाली भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की है। अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है ग्राम राणवतों का खेडा प. ह. उलेला तहसील जहाजपुर में स्थित आ.न. 116/10 रकबा 0.1620 हैक्टेयर की वसामलात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक पीपलुन्द को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500 रू. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रू. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे। आदेश आज दिनांक 14.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर(भीलवाडा)	

Scanned with CamScanner

राजस्थान-सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाड़ा

क्रमांक/रीडर/2023/[illegible]/2023 दिनांक 14.06.2023

निमित

तहसीलदार जहाजपुर

विषय — प्र. सं. [illegible]35/2023 अनवान महेन्द्रसिंह पिता मोहनसिंह राजपुत नि. राणवतो का खेडा (उलेला) बनाम कंचनदेवी पत्नी प्रहलाद मीणा नि. खजूरी, छीतरसिंह पिता केशरसिंह राजपूत नि. राणावतो का खेडा (उलेला) तहसील जहाजपुर, तहसीलदार जहाजपुर की पत्थरगढी की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम राणवतों का खेड़ा प. ह. उलेला तहसील जहाजपुर में स्थित आ.न. 116/10 रकबा 0.1620 हैक्टेयर, की [illegible] पड़ोसियान के पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक पीपलुन्द को कमीश्नर नियुक्ति किया जाता है। कमीश्नर फीस 500 रू. तय किये जाते है जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावें। पालना रिपोर्ट 15 यौम में पेश करें।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner